



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP07596963234745Y

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP07596963234745Y
Certificate Issued Date : 13-Feb-2026 02:22 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0107718153645702Y
Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : VILL-GAHALWARA,GATA NO-405 ETC,TOTAL AREA-1.0769 HEC LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : ₹21,10,780
First Party : ALI HUSAIN
Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 21,10,780
(Twenty One Lakh Ten Thousand Seven Hundred And Eighty only)

122



Scanned Total Pages...
नि.प्र.

Please write or type below this line

अली हुसेन



PF 0026415587

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

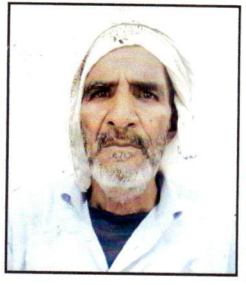
51

SHIL

Scanned Total Pages.....
Page No. 11/11



0056412287



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट — 70,00,000 /— (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /— (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति — 3,01,53,200 /—
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० — 75,38,300 /—
 5. जनरल स्टाम्प — 21,10,780 /—
- स्टाम्प सं. डी IN-UP07596963234745Y दिनांक 13-02-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार — (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला — गहलवारा
8. परगना व तहसील — काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद — लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000हे० में से विक्रीत रकबा 0.5000हे०,
 खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250हे० में से विक्रीत रकबा 0.4125हे०,
 खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920हे० में से विक्रीत रकबा 0.0460हे०,
 खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0284हे०,
 खसरा सं० 589सं का कुल रकबा 0.1800हे० में से विक्रीत रकबा 0.0900हे०,
 कुल रकबा 2.1540हे० में से विक्रीत रकबा 1.0769हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 1.0769हे०
11. सड़क की स्थिति — किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

मल्लो दुसे न।

५७



भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) — नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या— 405

15. पूरब — गाटा संख्या — 435
 16. पश्चिम — गाटा संख्या — 375
 17. उत्तर — गाटा संख्या — 397
 18. दक्षिण — गाटा संख्या — 439

19. विक्रेता का विवरण:-

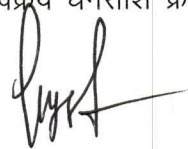
श्री अली हुसैन^{पुत्र} शाहजादे, निवासी— गहलवारा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
 आधार नं० 2367 8219 2525 मो० नं० 7355765553 पैन नं० ATPPH0278K

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत — वरुण विहार आवासीय योजना
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
 लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
 गोमती नगर, लखनऊ
 द्वारा — श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
 पदनाम — सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
 विभाग — लखनऊ विकास प्राधिकरण
 जनपद — लखनऊ मो० — 9540244993
 पैन संख्या — AAALL0016F

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 1.0769 हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल-खारिज सहित पूरे होषो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना दवाव नाजायज किसी शख्स के, मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिग रूपये 3,01,53,200/—(रूपये तीन करोड एक लाख तिरपन हजार दो सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिग रूपये 1,50,76,600/—(रूपये एक करोड पचास लाख छिहत्तर हजार छः सौ मात्र) होते है, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल जर समन हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता मजकूर का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं

अली हुसैन



५७



रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नही है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नही किया गया है। और प्रपन्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

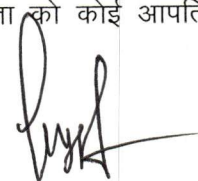
भूमिधरी आराजी खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000हे० में से विक्रीत रकबा 0.5000हे०, खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250हे० में से विक्रीत रकबा 0.4125हे०, खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920हे० में से विक्रीत रकबा 0.0460हे०, खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0284हे०, खसरा सं० 589सं का कुल रकबा 0.1800हे० में से विक्रीत रकबा 0.0900हे०, कुल रकबा 2.1540हे० में से विक्रीत रकबा 1.0769हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

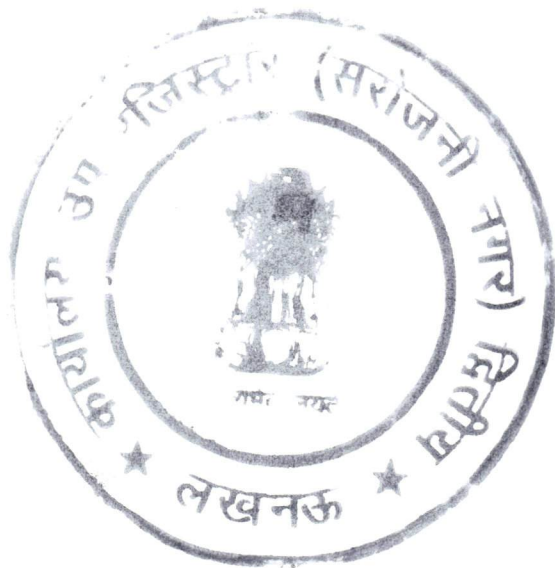
23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रुपये 3,01,53,200/- (रुपये तीन करोड एक लाख तिरपन हजार दो सौ मात्र) विक्रेता श्री अली हुसैन शाहजादे, उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 538113 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नही करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता, लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

अली हुसैन



45



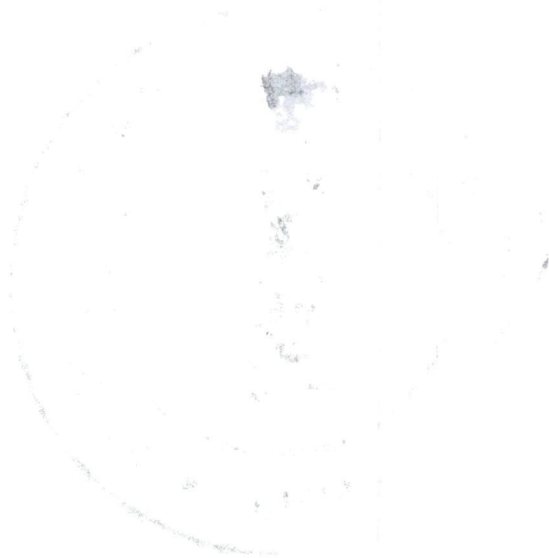
इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

24. स्थान- लखनऊ।

दिनांक-... 16/11/2026

अली हुसैन

[Signature]





43

आवेदन सं०: 202601041007127

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

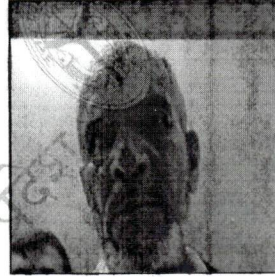
रजिस्ट्रेशन सं०: 3089

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 30153200 स्टाम्प शुल्क- 2110780 बाजारी मूल्य - 7538300 पंजीकरण शुल्क - 301540 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 301600

श्री अली हुसैन,
पुत्र श्री शहजादे
व्यवसाय : अन्य
निवासी: गहलवारा

अली हुसैन



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/02/2026 एवं 07:50:12 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

18/02/2026

सुनील कुमार तिवारी

निबंधक लिपिक

18/02/2026



सत्यमेव जयते



42 :: 5 ::

अलीहूसेन

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह - 01

नाम - बृज भान सिंह (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री अमर नाथ यादव
निवासी - तहसील-सरोजनीनगर, लखनऊ।

आधार संख्या- 5731 2177 9375
मोबाइल संख्या - 9648710607

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



हस्ताक्षर

टाइपकर्ता



हस्ताक्षर

प्रालेखक

६

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

Emple



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतोष कुमार सिंह

उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

18/02/2026

सुनील कुमार तिवारी

निबंधक लिपिक लखनऊ

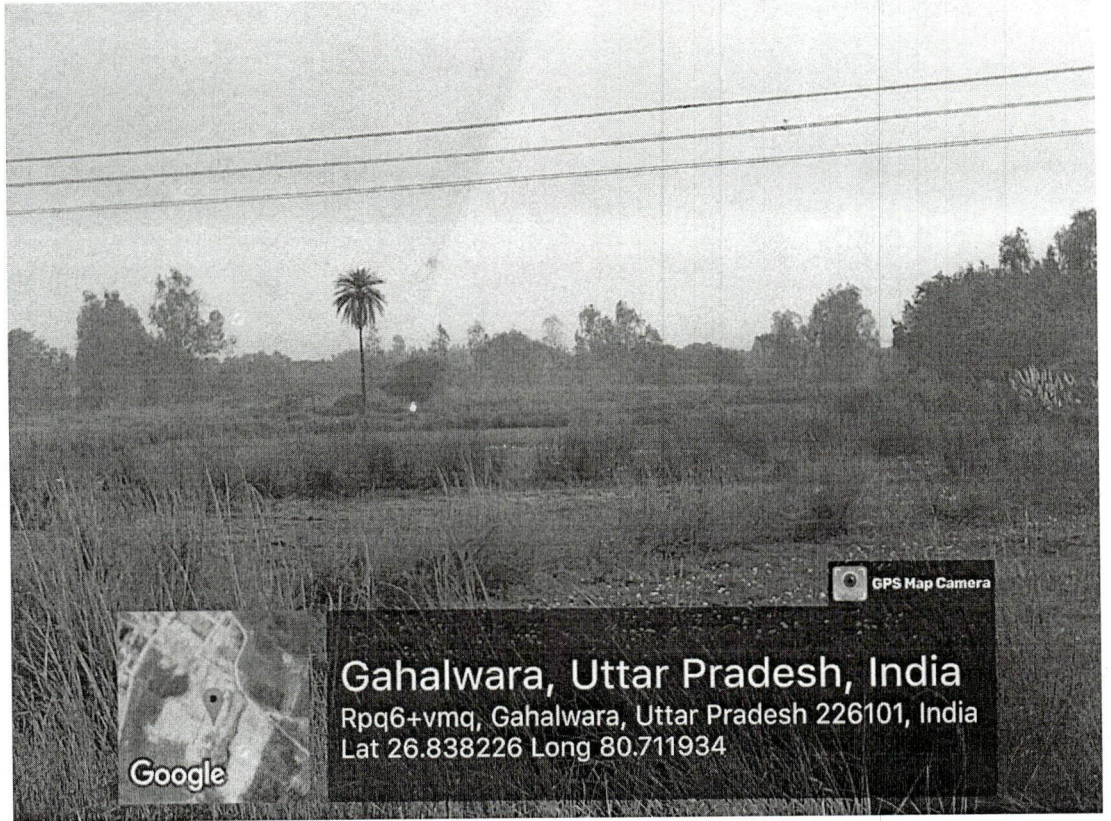
18/02/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000हे० में से विक्रीत रकबा 0.5000हे०, खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250हे० में से विक्रीत रकबा 0.4125हे०, खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920हे० में से विक्रीत रकबा 0.0460हे०, खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0284हे०, खसरा सं० 589सं का कुल रकबा 0.1800हे० में से विक्रीत रकबा 0.0900हे०, कुल रकबा 2.1540हे० में से विक्रीत रकबा 1.0769हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम—गहलवारा, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



अली हुसैन

विक्रेता के हस्ताक्षर

[Handwritten Signature]

क्रेता के हस्ताक्षर

39



आवेदन सं०: 202601041007127

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3089

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि ह प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री अली हुसेन,

|ALI HUSAIN

पुत्र श्री शहजादे

अली हुसेन

निवासी: गहलवारा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 278K

क्रेता: 1



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र
प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

|LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

.....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 016F

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1



Handwritten signature

श्री बृज भान सिंह लेख0,

निवासी: तह0 सरोजनी नगर लखनऊ

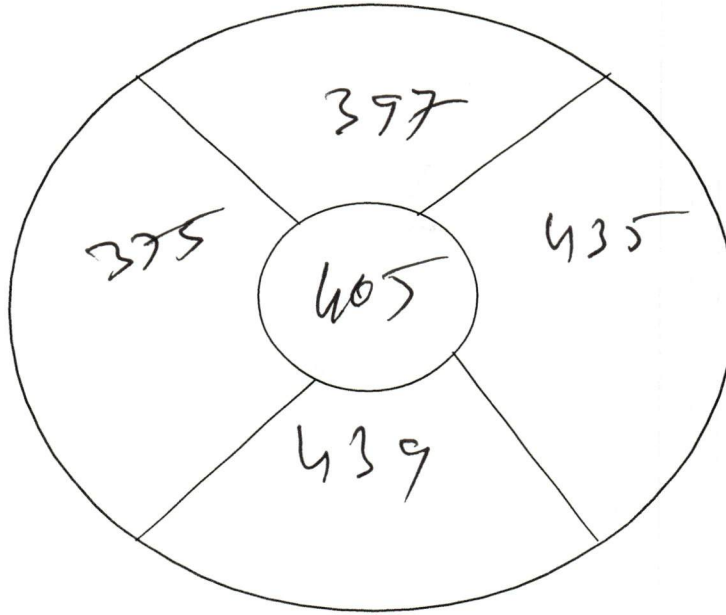
व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



0 – 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 405 का कुल रकबा 1.0000हे० में से विक्रीत रकबा 0.5000हे०, खसरा सं० 416 का कुल रकबा 0.8250हे० में से विक्रीत रकबा 0.4125हे०, खसरा सं० 566 का कुल रकबा 0.0920हे० में से विक्रीत रकबा 0.0460हे०, खसरा सं० 576 का कुल रकबा 0.0570हे० में से विक्रीत रकबा 0.0284हे०, खसरा सं० 589सं का कुल रकबा 0.1800हे० में से विक्रीत रकबा 0.0900हे०, कुल रकबा 2.1540हे० में से विक्रीत रकबा 1.0769हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम—गहलवारा परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



अली हुसैन

विक्रेता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर

केता के हस्ताक्षर



37

आवेदन सं०: 202601041007127

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2113 के पृष्ठ 147 से 162 तक क्रमांक 3089 पर दिनांक 18/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

18/02/2026

